



२३३/।

प्रमाण 2288708
2288710

नव चेतना केन्द्र, 10 लक्षोंक मार्ग, लखनऊ-220001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : 1737 / 05 / 76 / एक / 2015-16
सेवा में,

दिनांक : २४ जुलाई 2015

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-गाजियाबाद।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूडा द्वारा आपके जनपद (झूड़ा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्तियों तथा मतिन वस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्तियों तथा मतिन वस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त कर दी गई है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख रु० में)

बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
सिडिकेट बैंक	IFSC Code	SYNB0008556	98.471
(धनराशि लाख रु० में)			

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मतिन	निलाय का नाम	वस्ती/दाढ़ का नाम	प्रथम किस्त की धनराशि का प्रेषण
1	गाजियाबाद	मतिन वस्ती-83 बजट	न०पा०७० लोनी	वस्ती विकास कुंज (सोनिया नगर) में शंर के मकान से लक्ष्मण दास के माकन तक, राजेन्द्र पाल के मकान से राजेश के मकान तक, पवन के मकान से सुनील के मकान तक व श्रीपाल के मकान से हरिलाल के मकान तक इण्टरलाकिंग सङ्कर एवं नाली निर्माण कार्य।	17.474
2	गाजियाबाद	मतिन वस्ती-83 बजट	न०पा०७० लोनी	वस्ती आदेश नगर (भाग-01) में कमल के मकान से जयप्रकाश के मकान तक, कृष्णदेव अर्जन के मकान तक, सुनील के मकान से अर्जन के मकान तक, रमेश के मकान से मन्दिर तक, राजकिशोर के मकान से अनिल के मकानताक धर्मसिंह के मकान से बालिमकी मन्दिर तक व बनवारी के मकान से राहुल के मकान तक, रिंह डेरी के मकान से भूरा के मकान तक एवं रमेश के मकान से भूरा के मकान तक इण्टरलाकिंग सङ्कर एवं नाली निर्माण कार्य।	14.306
3	गाजियाबाद	मतिन वस्ती-83 बजट	न०पा०७० लोनी	वस्ती आदेश नगर (भाग-02) में धनराज के मकान से सुखपाल के मकान तक दिनेश के मकान से अनिल के मकान तक, फौजी के मकान से शोपाल के गकान तक लाली के मकान से रीनी भवन तक एवं कगल के मकान से गोहित के मकान तक इण्टरलाकिंग सङ्कर एवं नाली निर्माण कार्य।	10.022
4	गाजियाबाद	मतिन वस्ती-83 बजट	न०पा०७० लोनी	वस्ती जवाहर नगर में आमवरी वर्तन वाली गली से होते हुये ओमपाल के मकान से कर्ण के मकान तक, श्रीपाल के मकान से राजपाल के मकान तक, देवेन्द्र के मकान से दैवी के मकान तक, मित्रपाल के मकान से किरण पाल के मकान तक, फूलसिंह के मकान से विष्णुनारायण एवं सुरेश पाल के मकान तक एवं देवी के मकान से सतेन्द्र के मकान तक इण्टरलाकिंग सङ्कर एवं नाली निर्माण कार्य।	14.266



233(2)

पूर्वाप 2288709
2288710

नव थेना केन्द्र, 10 अशोक नगर, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्र. सं.	जनपद का नाम	अत्यसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	वस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किसा की धनराशि का प्रेषण
5	गाजियाबाद	मलिन वस्ती-83 बजट	न0प0 ढासना	वस्ती सद्भावना नगर में शिय कुमार के मकान से रणजीत सैनी के मकान तक, ताहिर के मकान से शिवकुमार के मकान तक, आजाद के मकान से ताहिर के मकान तक, ताहिर के मकान से रणजीत सैन के मकान तक, श्री निवास के मकान से रामलाल के मकान तक, ब्रजमोहन के मकान से राजू के मकान तक, राजू के मकान से शिवजी के मकान तक तथा राजू के मकान से काशीनाथ के मकान तक इंटरलाकिंग सङ्क एवं नाली निर्माण कार्य।	17.180
6	गाजियाबाद	मलिन वस्ती-83 बजट	न0प0प0 लोनी	वस्ती न्यू विकास नगर (सुन्दर नगर) (भाग-01) में राजा के मकान से निर्देश के मकान तक, राकेश वाली गली में, मूलचन्द्र के मकान से रामशरण के मकान तक, धिरेन्द्र के मकान से प्रमोद के मकान तक, कर्मपाल के मकान से सूबे के मकान तक, धर्मवीर के मकान से कपिल के मकान तक, पीर के मकान से सोनू के मकान तक, सूरज के मकान से कर्मचन्द्र के मकान तक, कर्मचन्द्र के मकान से जयसिंह के मकान तक, तोज के मकान से रांजय के मकान तक, राजकुमार के मकान से चन्द्र पाल के मकान तक, एस०एन०पी० के मकान से सुरेश के मकान तक, गामचन्द्र के मकान से कपिल के मकान तक मामचन्द्र के मकान से अशोक के मकान तक, वन्दा के मकान से किरणपाल के मकान तक एवं कपिल वाली गली में इंटरलाकिंग सङ्क एवं नाली निर्माण कार्य।	13.608
7	गाजियाबाद	मलिन वस्ती-83 बजट	न0प0प0 लोनी	वस्ती न्यू विकास नगर (सुन्दर नगर) (भाग-02) में गुलनारी के मकान से भिनेश के मकान तक, हीरालाल के मकान से भिनेश के मकान तक, ब्रह्मवीर के मकान से देवेन्द्र के मकान तक, मुन्ना के मकान से रणधीर के मकान तक, अमित के मकान से शैली के मकान तक, रमाशंकर वाली गली में हंस टेलर के मकान से सुभाष के मकान तक, किरण पाल के मकान से शकील के मकान तक, सूरज सिंह के मकान से आजाद के मकान तक इंटरलाकिंग सङ्क एवं नाली निर्माण कार्य।	11.615
	योग				98.471

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अत्यसंख्यक बाहुल्य वस्तियों तथा मलिन वस्तियों में री०पी० रोड अथवा इंटरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- उ०प्र० रारकार के द्वारा जारी शारानादेशों के अनुलूप शहरी क्षेत्रों की अत्यसंख्यक बाहुल्य वस्तियों तथा मलिन वस्तियों में री०पी० रोड अथवा इंटरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु रपीकृत दी०पी०आ००/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य रामात् होने के पश्चात् फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तापश्चात् ही कार्य आरम्भ कराया जाये।



23/5

पुस्तक - 2288700
2288710

नव घेटा केन्द्र, 10 अशोक नगर, लखनऊ-220001

राज्य नगरीय विकास अभियान, उ.प्र.

- 4— अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनानांतर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत रो धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्भिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभियान मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5— स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों रो लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6— प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तापुरिता के सुरांगत प्रविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7— परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख्य-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8— प्रोजेक्ट अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभियान को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभियान को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित व्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9— उक्त धनराशि सूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी। एवं स्वीकृत परियोजनानांतर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10— प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की रुक्ति पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11— अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजना के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्यवर्तन अनुगम्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैशवृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभियान मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के साम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12— शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष प्रथम किशत की 50 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्ताप्रक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित निर्धारित प्रपत्र पर सूचना अभियान को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोकी गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

भवदीय,


 (ललित प्रताप सिंह)
 वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभियान, सम्बन्धित जनपद।
2. अपर निदेशक, सूडा।।।
3. अधिकारी अभियन्ता-सूडा।।।
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।।।


 (ललित प्रताप सिंह)
 वित्त नियन्त्रक